राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

माघ 26, बुधवार, शाके 1944-फरवरी 15, 2023

Magha 26, Wednesday , Saka 1944- February 15, 2023

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

(ग्रुप-3)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

संख्या एफ.1 (35)आरडी/मनरेगा/डिले पेमेंट/2013 :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 29 के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिये मजदूरी के संदाय में विलंब के लिये प्रतिकर के संदाय के लिये नियम बनाने का प्रस्ताव करती है। निम्नलिखित नियमों के प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उन्हें इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों को, उस तारीख से जिसको इन प्रारूप नियमों की राजपत्र में यथा-प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी जायें, पन्द्रह दिवस की कालावधि के अवसान के पश्चात् विचारार्थ लिया जायेगा।

किसी भी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे आक्षेप और सुझाव परियोजना निदेशक सह उप-सचिव, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, उत्तर पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान को संबोधित किये जाने चाहिए।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मजदूरी के संदाय में विलंब के लिये प्रतिकर) (प्रारूप) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) "संदाय प्राधिकारी" से मजदूरी रकम के लिये संदाय लिखत निर्मुक्त/जारी करने के लिये प्राधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसमें मजदूरी का निर्धारण, प्रक्रिया और संदाय करने के लिये उत्तरदायी कर्मचारी या अधिकारी सम्मिलित है;

(ग) "नियत कालावधि" से मस्टर रोल के बंद किये जाने से पन्द्रह दिवस तक की वह कालावधि अभिप्रेत है जिसमें मजदूरी चाहने वाले ने कार्य किया है;

(घ) "मजदूरी दर" से अधिनियम के उपबंध के अधीन समय-समय पर अधिसूचित दर अभिप्रेत है; और

(ङ) "मजदूरी रकम" से श्रमिक को किसी पखवाड़े में उसके द्‌वारा किये गये कार्य के लिये संपादित टास्क के अनुसार संगणित, संदत्त की जाने वाली रकम अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. मजदूरी के संदाय में विलंब के लिये प्रतिकर प्राप्त करने की पात्रता.- यदि मस्टर रोल के बंद होने की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किये जाने की दशा में मजदूरी चाहने वाला मस्टर रोल के बंद होने के सोलहवें दिन से विलंब के लिये प्रतिदिन की असंदत्त मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब के लिये प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने का पात्र होगा। संदेय प्रतिकर का विनिश्चय निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय, कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) द्‌वारा किया जायेगा :-

(क) संदाय प्राधिकारी स्तर पर निधियां उपलब्ध नहीं हैं,

(ख) प्रतिकर देय नहीं है : (मजदूरी समय पर संदत्त कर दी गयी है, किन्तु ब्यौरे एमआईएस में प्रविष्ट नहीं किये गये), या

(ग) प्राकृतिक आपदाएं।

4. मजदूरी के संदाय में विलंब के लिये प्रतिकर का संदाय.- (1) कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली-नरेगा सॉफ्ट में, मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के आधार पर मनरेगा कार्मिकों को संदेय प्रतिकर की और मजदूरी संदाय के लिये पे-आर्डर के जनन की तारीख की संगणना स्वत: करने का उपबंध है। प्रत्येक मामले में संदेय प्रतिकर के ब्यौरे स्कीम की शासकीय वेबसाइट, अर्थात् https://nrega.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(2) प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी (पीओ), उस तारीख से, जिसको विलंब के लिये प्रतिकर शोध्य हो गया है, पन्द्रह दिवस के भीतर विनिश्चय करेगा कि क्या प्रतिकर, जो नरेगा सॉफ्ट द्‌वारा स्वत: संगणित किया गया है, संदेय है या नहीं। कार्यक्रम अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिकर के दावों का निपटारा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाये और ऐसे दावे विनिश्चय किये बिना संचित किये जाने हेतु अनुज्ञात नहीं किये जायेंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक इसे नियमित रूप से मानीटर करेगा।

(3) संदेय प्रतिकर, कार्यक्रम अधिकारी द्‌वारा इसे मनरेगा वेबसाइट के माध्यम से अनुमोदन के पश्चात् विनिश्चित किया जायेगा। यदि प्रतिकर नियम 3 में उल्लिखित कारणों से संदेय नहीं है तो कार्यक्रम अधिकारी इसे मनरेगा वेबसाइट पर अननुमोदन के कारण को अभिलिखित करने के पश्चात् अननुमोदित करेगा।

(4) उपरोक्तानुसार प्रतिकर के संदाय के लिये अनुमोदित समस्त मामले, उसी रीति से जैसे कि मजदूरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन संदत्त की जाती हैं, निधि हस्तान्तरण आदेश (एफटीओ) अपलोड करने के पश्चात् मजदूरी पर्ची जनन के लिये प्रस्तावित किये जायेंगे।

(5) प्रतिकर के संदाय में, उस तारीख से जिसको यह संदेय हो जाता है, पंद्रह दिवस से अधिक के विलंब का कोई मामला उसी रीति से प्रेषित किया जायेगा जिस रीति से मजदूरी के संदाय में विलंब का मामला प्रेषित किया जाता है।

5. प्रतिकर की वसूली.- (1) विलंब के लिये प्रतिकर की रकम विहित समय सीमा के भीतर सम्यक् सत्यापन के पश्चात् अग्रिम संदत्त की जायेगी और ऐसी रकम मस्टर रोल ट्रेकिंग सिस्टम के अनुसार मजदूरी का संदाय करने में विलंब के लिये उत्तरदायी कृत्यकारियों/ अभिकरणों से वसूल की जायेगी।

(2) ऐसे प्रतिकर की रकम की वसूली अपचारी पदधारी के वेतन, मानदेय, भत्तों इत्यादि में से की जायेगी।

(3) यदि किसी भी मामले में अपचारी अधिकारी/पदधारी/संविदात्मक कार्मिक निवृत्त/स्थानांतरित होता है/त्याग पत्र देता है/सेवा छोड़ देता है या किसी अन्य कारण से उससे प्रतिकर की रकम वसूल नहीं की जा सकती है तब ऐसी वसूली विद्यमान नियमों के अनुसार की जायेगी। पदाभिहित कार्यक्रम अधिकारी ऐसी वसूली करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(4) पदाभिहित कार्यक्रम अधिकारी इस प्रकार वसूली गयी रकम राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार खोले गये खाते में जमा करेगा।

6. अभिलेख का रखरखाव.- (1) मजदूरी के संदाय में विलंब के लिये प्रतिकर के संदाय से संबंधित अभिलेख का रखरखाव संदाय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) ग्राम पंचायत हिताधिकारी के जॉब-कार्ड में मजदूरी के संदाय में विलंब के लिये संदत्त प्रतिकर की रकम की प्रविष्टि करेगी।

(3) मजदूरी के संदाय में विलंब के लिये संदत्त प्रतिकर, विलंब के लिये उत्तरदायी कार्मिक और वसूल की गयी रकम से संबंधित सूचना कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी, जो उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(4) मजदूरी के संदाय में विलंब के लिये संदत्त प्रतिकर के ब्यौरे, इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किये जायेंगे।

7. अपील.- इन नियमों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही से व्यथित कोई व्यक्ति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (शिकायत को दूर करना) नियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा।

8. निरसन और व्यावृत्ति.- इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व समय-समय पर जारी किये गये कोई आदेश या अनुदेश इन नियमों के प्रारंभ पर उस सीमा तक निरसित होंगे, जिस तक उक्त आदेशों या अनुदेशों के उपबंध, इन नियमों के उपबंधों से असंगत हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

के.के. शर्मा,

परियोजना निदेशक सह शासन उप सचिव।

RURAL DEVELOPMENT AND PANCYAYATI RAJ DEPARTMENT
(GROUP-3)
NOTIFICATION

Jaipur, February 10, 2022

No.F.1(35) RD/NREGA/Delay Payment/2013:- In exercise of the powers conferred by section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005), the State Government proposes to make the rules for payment of Compensation for Delay in Payment of Wages for implementation of provisions of para 29 of Schedule II of the said Act. The following draft of rules is hereby published as required by sub-section (1) of section 32 of the said Act, for information of the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given to them that the said rules would be taken into consideration after the expiry of a period of fifteen days from the date on which copies of these draft rules as published in the Official Gazette are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government. Such objections and suggestions should be addressed to the Project Director cum Deputy Secretary, Rural Employment**,** Rural Development Department**,** Government of Rajasthan**,** North West Building, **G**overnment Secretariat, Jaipur, Rajasthan.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Compensation for Delay in Payment of Wages) (Draft) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act-2005;

(b) "Paying Authority" means the authority authorized to release/ issue payment instrument for wage amount and includes the employee or officer responsible for assessing, processing and making payment of wages;

(c) “Stipulated Period” means the period upto fifteen days from the closure of the Muster Roll on which a wage seeker has worked;

(d) "Wage Rate" means the rate notified under the provision of the Act, from time to time; and

(e) "Wage Amount" means the amount to be paid to the labour calculated as per the task performed for the work done by him/her in a fortnight.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Eligibility to receive compensation for delay in payment of wages.- In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll,

the wage seekers shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay from the sixteenth day of closure of the muster roll. Compensation payable shall be decided by the Programme Officer (PO) except in case of the following circumstances:-

(a) Funds are not available at the paying authority level,

(b) Compensation not due: (wages have been paid in time, but details not entered in MIS), or

(c) Natural calamities.

4. Payment of compensation for delay in payment of wages.- (1) The Programme Management Information System-NREGA Soft has a provision to automatically calculate the compensation payable to the MGNREGA workers based on the date of closure of the muster roll and the date of generation of the pay order for paying wages. The details of compensations payable in each case shall be displayed on the official website of the scheme, i.e. https://nrega.nic.in.

(2) Every Programme Officer (PO) shall, within fifteen days from the date since the compensation for delay has became due, decide whether the compensation that has been automatically calculated by the NREGA Soft is payable or not. The Programme Officers shall ensure that compensation claims are settled with in time specified above and such claims shall not be allowed to be accumulated without decision. The District Programme Coordinator shall monitor it regularly.

(3) Compensation payable shall be decided by the Programme Officer after approving it through MGNREGA website. If compensation is not payable for the reasons mentioned in rule 3, the Programme Officer shall disapprove it after recording reason of disapproval on MGNREGA website.

(4) All cases approved for the payment of compensation as above shall be moved for generation of wage slip followed by uploading of Fund Transfer Order (FTO) in the same manner as the wages are paid under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

(5) Any delay in payment of compensation beyond fifteen days from the date it becomes payable shall be addressed in the same manner as the delay in payment of wages.

5. Recovery of compensation.- (1) The amount of compensation for delay shall be paid upfront after due verification within the time limits prescribed and such amount shall be recovered from the functionaries/agencies responsible for the delay in making payment of wages as per muster roll tracking system.

(2) The recovery of such compensation amount shall be made from the delinquent official out of his/her salary, honorarium, allowances etc..

(3) If in any case the delinquent officer/official/contractual personnel retires/transferred/ resigns/leave the job or due to any other reason compensation amount cannot be recovered then such recovery shall be made as per the prevailing rules. The designated Programme Officer shall be responsible for making such recoveries.

(4) The designated Programme Officer shall deposit the amount so recovered in the account opened as per the directions of the State Government.

6. Maintenance of record.- (1) Record relating to payment of compensation for delay in payment of wages shall be maintained by the paying authority.

(2) The Gram Panchayat shall make an entry of the amount of compensation paid for delay in payment of wages in job card of the beneficiary.

(3) The information regarding the compensation paid for delay in payment of wages, personnel responsible for the delay and the amount recovered shall be sent regularly by the Programme Officer to the District Programme Coordinator, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Rajasthan, who shall forward the same to the State Government.

(4) Details of compensation paid for delay in payment of wage shall be incorporated in the annual report so prepared.

7. Appeal.- Any person aggrieved by any order issued or action taken under these rules may prefer an appeal in accordance with the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Grievance Redressal) Rules, 2010.

8. Repeal and Saving.- Any order or instructions issued, from time to time, before the commencement of these rules shall stand repealed on commencement of these rules so far as provisions of said orders or instructions are inconsistent to the provisions of these rules.

By order of the Governor,

K.K. SHARMA,
PROJECT DIRECTOR CUM DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।